Form No. III

Qnlvgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

शकिर हुसैन बनाम **सरकार**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 497–503 बीएनएसएस, 2023**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रै.वि.)** नं0 **077** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। अभियोजन अधिकारी हाजिर। प्रकरण में प्रार्थी वाहन स्वामी शाकिर हुसैन पिता निजामुदीन निवासी ओकाब मौहल्ला, पुराना पोस्ट ऑफिस निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ की और से पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 332/2024 दिनांक 24.08.2024 अपराध अन्तर्गत धारा 3 व 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 में जब्तशुदा वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 27 GA 0744** जिसके इंजन नंबर **GA51L66389** चेचीस नंबर **MA1ZA2GAA51L41515** को प्रार्थी अधिकृत/वाहन स्वामी को सिपुर्द किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 497–503 बीएनएसएस, 2023 के तहत प्रस्तुत किया। जिस पर थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ से टिप्पणी/कमेन्ट्स हेतु लिखा गया। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/701 दिनांक 18.02.2025 से टिप्पणी/अभिमत प्रेषित कर अवगत कराया गया कि वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा जब्तशुदा वाहन की आवश्यकता नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा द्वारा प्रेषित टिप्पणी/अभिमत शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 332/2024 दिनांक 24.08.2024 पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा में जब्तशुदा वाहन एवं माल के निस्तारण बाबत् अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण संख्या 00822024(रसद) दर्ज होकर विचाराधीन है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन में पेट्रोल एवं डीजल भरा हुआ है जिसका निस्तारण मूल प्रकरण में ही किया जाना है ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण को मूल प्रकरण के साथ ही सुना जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण को मूल प्रकरण संख्या 008/2024(रसद) के साथ सुनवाई हेतु रखा गया। प्रकरण संख्या 008/2024(रसद) में जब्तशुदा वाहन वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 27 GA 0744** जिसके इंजन नंबर **GA51L66389** चेचीस नंबर **MA1ZA2GAA51L41515** को रूपये 07,00,000/– अक्षरे सात लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर प्रकरण में जब्तशुदा वाहन वाहन स्वामी/अधिकृत को सौंपे जाने के आदेश दिए गये है, अतः पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। –ह0– (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 26.03.2025 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	